न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-149Jodhpur2022-90 Dheemaram vs Madansingh etc

1. धीमाराम पुत्र धोकलाराम
2. उगराराम पुत्र हरूराम
3. ओमप्रकाश पुत्र बीरमाराम
4. गणपतराम पुत्र गोरधनराम
5. सुरताराम पुत्र हरूराम
6. सोनाराम पुत्र हरूराम
   सभी जातियान् विश्नोई, निवासीगण- सामराउ, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।
7. लुंगादेवी पत्नी गोरधनराम जाति विश्नोई, निवासी- नगरासर, तहसील बज्जु जिला बीकानेर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. मदनसिंह पुत्र आसकरण
2. चन्द्रादेवी पत्नी मदनसिंह
   जातियान् राजपुरोहित, निवासी- सिटी पोईट होटल के पास विश्वकर्मा कॉलोनी फलोदी, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
3. पुरूषोतम पुत्र आसकरण
4. रूकमणी देवी पत्नी भंवरसिंह
5. शोभा पुत्री भंवरसिंह
6. संतोष पुत्री भंवरसिंह
7. ललित गोदपुत्र भंवरसिंह
   सभी जातियान् राजपुरोहित, निवासी- हायर सैकेण्डरी स्कूल के पास, बाप, तहसील बाप, जिला जोधपुर।
8. विकास पुत्र देवाराम जाति विश्नोई, निवासी- उदाणियों की ढाणी सावंरिज तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
9. प्रमीला पत्नी नाथूराम जाति विश्नोई, निवासी- उमाणी नगर, ढढू तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
10. तहसीलदार फलोदी।

रेस्पो. ...

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 15 सितंबर 2021 सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक फलोदी राजस्व विविध प्रार्थनापत्र संख्या 20/2021 मदनसिंह व अन्य बनाम पुरुषोतम इत्यादि

उपस्थित-

श्री बुधराम गोदारा, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री मालमसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक व दो
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या दस

नि र्ण य

दिनांक : 16 अक्टूबर 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक फलोदी द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 20/2021 मदनसिंह व अन्य बनाम पुरुषोतम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 15 सितंबर 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 26 अप्रैल 2022 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि <u>प्रार्थीगण/रेस्पो.</u> संख्या एक व दो ने एक वाद बाबत खातेदारी घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा मय धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 57/1 रकबा 30.10 बीघा {वर्तमान जमाबंदी अनुसार खसरा नं. 57/1, 57/11, 57/12 दर्ज} ग्राम खींचन के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण को बहस सुनकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15 सितंबर 2021 के जरिये

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तरिम रूप से स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 57/1 रकबा 30.10 बीघा में सें अपीलार्थीगण द्वारा 2 बीघा भूमि दिनांक 12.09.2007 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के खरीद की गई है। अपीलार्थीगण द्वारा अपनी उक्त खरीदसुदा भूमि की पत्थरगढी करवाने का आदेश विचारण न्यायालय से पारित करवाया तो रेस्पोडेंट संख्या एक व दो ने वाद एवं उसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलांट को सम्मन जारी किये बिना उनके विरुद्ध एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश प्राप्त कर लिया, जिस कारण अपीलांट्स की भूमि की पत्थरगढी की कार्यवाही रुक गई है। इसलिए अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट्स को सम्मन जारी नहीं किये गये। दिनांक 28.03.2022 की तारीख पेशी के अपीलांट्स को सम्मन प्राप्त होने पर पता किया जो एकपक्षीय स्थगन आदेश की जानकारी हुई। तब अपीलांट्स द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर दिनांक 31.03.2022 को नकल हेतु आवेदन कर जानकारी से अंदर म्याद हस्तगत अपील प्रस्तुत की है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15 सितंबर 2021 को निरस्त किया जावे।

जवाब में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक व दो ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी उभय पक्ष की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। विचारण न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

द्वारा वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया हैं। अपीलांट्स द्वारा अंतरिम आदेश के विरुद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है तथा विलंब का कोई संतोषजनक कारण नहीं बतलाया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का प्रश्न है। मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु विलंब के बिंदु पर नरम रुख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख जमाबंदी संवतः 2077-2080 ग्राम खींचन तहसील फलोदी के खाता संख्या नया 477 एवं पुराना खाता संख्या 363 के मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 57/1 रकबा 2.5900 हैक्टेयर, खसरा नं. 57/11 रकबा 1.0036 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 57/12 रकबा 1.3436 हैक्टेयर राजस्व रेकर्ड में उभय पक्ष की संयुक्त खातेदारी की भूमि दर्ज है, जिसके संबंध में खातेदारी घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद विचारण न्यायालय में विचाराधीन है। वाद के विचाराधीन रहते विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति रखे जाने का आदेश पारित किया गया है जो अदालत हाजा की राय में विधिसम्मत पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध पेश की गई है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना शेष है। लिहाजा मामला शीघ्र निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना अदालत हाजा की राय में उचित है।

परिणाम स्वरूप समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर 2 माह की अवधि में प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर